न्यायालय भू- प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर [राज०]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही	
24.08.16	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि प्रस्तुत अपील तहत न्यायालय द्वारा धारा 212 R.T एक्ट के प्रा. क्र. में पारित अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के विरुद्ध है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के विरुद्ध अपील पोषणीय है अथवा नहीं, इस सम्बन्ध में हमने नवीन न्यायिक दृष्टांत 2015 RRD 146 का अध्ययन किया। इसमें माननीय राजस्व मण्डल ने अभिनिर्धारित किया है कि परीक्षण न्यायालय आगामी तिथि तक पारित एकपक्षीय अन्तरिम आदेश के विरुद्ध अपील सुनने का क्षेत्राधिकार अपीलीय न्यायालय को नहीं है। यही सिद्धान्त 2015 RRD 170 में भी प्रतिपादित किया गया है। चूंकि प्रस्तुत अपील अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के विरुद्ध है, जो कि उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों के परिप्रेक्ष्य में पोषणीय नहीं है। अत: अपील पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम की जावे, बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर की जावे। भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर	

Scanned by CamScanner